



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-670

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 312245 दिनांक 06/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Tara Chand S/o Shiv Charan Lal	श्रीमती देव कंवर पत्नि श्री हिम्मत सिंह	37	206.25 SQ. YARD	Cooperative	BUDH VIHAR (TOPKHANA DESH GNSS) Sector/Block-B	Sub Division and Reconstitution	तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बुध विहार के भूखण्ड संख्या बी-37 क्षेत्रफल 206.25 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 10.06.2009 को श्रीमती देव कंवर पत्नि श्री हिम्मत सिंह के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 206.25 वर्गगज में से साउथ पार्ट क्षेत्रफल 103.12 वर्गगज का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.02.2013 को श्रीमती देव कंवर पत्नि श्री हिम्मत सिंह द्वारा श्रीमती अनीता सैनी पत्नि कमल सैनी के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2015 को श्रीमती अनीता सैनी पत्नि कमल सैनी द्वारा ताराचन्द पुत्र श्री शिवचरण लाल को कर दिया गया। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का उपविभाजन विद लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Tara Chand S/o Shiv Charan Lal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।